प्रेस नोट थाना सदर बाजार
जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक : 01.03.2026

“थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा चाकू से जान लेवा हमला करने वाले अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त चाकू के साथ किया गया गिरफ्तार ।“

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अपराध रोकथाम , मिशन शक्ति फेज 5 अभियान व गिरफ्तारी वाँछित अभियुक्त के क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस टीम को बडी सफलता हासिल हुई ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 28.02.2026 को वादी मुकदमा श्री श्याम बाबू पुत्र राम भरोसे निवासी मो0 लोधीपुर थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना सदर बाजार पर एक प्रार्थना पत्र बावत अभियुक्त आसिफ पुत्र बन्ने निवासी पेट्रोल पम्प के पीछे लाल इमली चौराहे के पास थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर द्वारा वादी के भाई मनोज प्रजापति के साथ गाली गलौज करना जान से मारने की नियत से चाकू मारकर गम्भीर रूप से घायल कर देना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दिया । जिसके आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 85/26 धारा 352/351(3)/109 बीएनएस पंजीकृत किया गया । जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री सुशील कुमार द्वारा प्रारम्भ की गयी । श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा घटना को गम्भीरता से लेते हुए घटना के सम्बन्ध मे साक्ष्य संकलित कर शीघ्र अभियुक्त की गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये । जिसके क्रम में थाना सदर बाजार पर पुलिस टीम का गठन किया गया । दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त मे नामित आसिफ की नामजदगी झूठी पायी गयी तथा अभियुक्त नईम पुत्र बन्ने उर्फ यामीन का नाम प्रकाश में लाया गया । आज दिनांक 01.03.2026 को थाना सदर बाजार पुलिस मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त नईम पुत्र बन्ने उर्फ यामीन नि0 मो0 बीबीजई थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर की तलाश करती हुई जैसे ही कवि तिराहे पर पहुँची तभी मुखबिर खास ने सूचना दी कि अभियुक्त वर्तमान समय में मो0 ईदगाह के पीछे तालाब के पास खडा है । अगर जल्दी की जाए तो पकड़ा जा सकता है मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त नईम उपरोक्त को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा एक बारगी दबिश देकर मो0 ईदगाह के पीछे तालाब के पास पकड़ लिया गया नाम पता पूछा गया तो इसने अपना नाम नईम पुत्र बन्ने उर्फ यामीन उम्र करीब 32 वर्ष नि0 मो0 बीबीजई थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर बताया । जामा तलाशी से पहने हुए लोअर की दाहिनी जेब से घटना मे प्रयुक्त एक अदद चाकू की बरामदगी होने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त नईम पुत्र बन्ने उर्फ यामीन उपरोक्त को उसके जुर्म व धारा 352/351(3)/109 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट से अवगत कराते हुये समय 13.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा अभियुक्त को बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- नईम पुत्र बन्ने उर्फ यामीन उम्र करीब 32 वर्ष निवासी मौ0 बी0बी0जई हद्दफ थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर ।

पंजीकृत अभियोग/गिरफ्तारीः-

- मु0अ0सं0 85/26 धारा 352/351(3)/109 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का स्थान , दिनांक व समय

- मो0 ईदगाह के पीछे तालाब के पास थाना सदर बाजार , 01.03.2026 समय 13.30 बजे

बरामदगी विवरणः-

- घटना मे प्रयुक्त एक अदद नाजायज चाकू बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर

2.का0 417 अंकित चौहान

3.का0 1757 संजय पोसवाल